फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/131 बअनवान लक्ष्मी वगैरा बनाम दूदाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी श्री दूदाराम चौधरी व वकील अप्रार्थी श्री बाबुलाल परमार की बहस सुनी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम विरमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 1644, 1648, 1643 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.97 हैक्टर के खातेदार जोधा पुत्र मकना के देहांत के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 21 स्वीकृति दिनांक 19.07.92 के आधार पर लच्छाराम पुत्र जोधा का नाम दर्ज हुआ तथा नामान्तरकरण संख्या 22 के जरिये बेचान तथा सहमति पत्र के आधार पर लच्छाराम पुत्र जोधा के स्थान पर दुदाराम पुत्र भीकाराम जाति भांबी के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण के पश्चात वादग्रस्त भूमि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में प्रतिवादी दूदाराम पुत्र भीखाराम के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। जिस तथ्य को वादी स्वयं स्वीकार करते है तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एंव बेचान रजिस्ट्री दिनांक 27.01.89 भी इस तथ्य की पुष्टि करते है। इस प्रकार अधिकार अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज होने से विधि के प्रावधानों अनुसार काश्त व कब्जा भी प्रतिवादी संख्या 01 का मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित तीनों बिदुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner